पत्रांक–वन भूमि–43 / 2016..... / प0व0

**बिहार सरकार**

**पर्यावरण एवं वन विभाग**

**प्रेषक,**

**ललन प्रसाद सिंह**
वन संरक्षक–सह–अपर सचिव।

**सेवा में,**

**अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय)**
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, मेकॉन कॉलोनी,
A-2 श्यामली, राँची–834002.

**पटना–15, दिनांक–.....**

**विषय** :– गया जिलान्तर्गत पाँच पहाड़ियों (डुंगेश्वरी, लारपुर, ब्रह्म्योनि, रामशीला एवं प्रेतशिला) पर सोलर पावर के सुरक्षा के लिये दीवार / भवन निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.0245 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त करने के लिये प्रस्ताव के संबंध में।

**महाशय,**

गया जिलान्तर्गत पाँच पहाड़ियों (डुंगेश्वरी, लारपुर, ब्रह्म्योनि, रामशीला एवं प्रेतशिला) पर सोलर पावर के सुरक्षा के लिये दीवार / भवन निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.0245 हे० वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव एयरपोर्ट निदेशक, भारतीय विमानपतन् प्राधिकरण, गया हवाई अड्डा, गया द्वारा समर्पित किया गया है जो प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना के अनुमोदनोंपरांत नोडल पदाधिकारी, (वन संरक्षण) बिहार की अनुशंसा के साथ प्राप्त हुआ है।

विषयांकित पत्र सुरक्षित वन के रूप में अधिसूचित है। पहुँच पथ के निर्माण के क्रम में 0.0245 हे० वन भूमि के अपयोजन का प्रस्ताव है। प्रस्तावित स्थल पर पातित होने वाली वृक्षों की संख्या–शून्य है तथा वानस्पतिक घनत्व 0.1 अंकित किया गया है।

वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा अंकित किया गया है कि अपयोजित होने वाल पाँच पहाड़ियों (डुंगेश्वरी, लारपुर, ब्रह्म्योनि, रामशीला एवं प्रेतशिला) की वन भूमि में से तीन पहाड़ियाँ (ब्रह्म्योनि, रामशीला एवं प्रेतशिला) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा संरक्षित क्षेत्र के रूप में अधिसूचित है। प्रयोक्ता एजेंसी को कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार (पुरातत्व निदेशालय) के पत्रांक–5 पुरा / स०1–10 / 2015–265 दिनांक–24.08.2016 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा परियोजना की स्वीकृति के लिये निम्न पाँच बिन्दुओं के साथ अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किया गया है :–

i. भवन बनाने हेतु पहाड़ पर कोई तोड़–फोड़ नहीं किया जायेगा।

ii. भवन की दिवारें ईट से बनाई जायेगी।

iii. भवन की ऊँचाई 7' (सात फीट) से अधिक नहीं होगी।

iv. भवन का छत जी०आई०शीट या पी०वी०सी० का होगा।

v. निर्माण कार्य में विभागीय पदाधिकारियों / अभियंताओं द्वारा निरीक्षण किया जायेगा।

जिला पदाधिकारी, गया द्वारा निर्गत FRA-2006 का प्रमाण–पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न है। प्रस्तावित स्थल का डी०जी०पी०एस० मैप तथा टोपो सीट भी प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत निम्नांकित शर्तों के साथ प्रस्ताव की अनुशंसा की जाती है :–

1. भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।
2. 0.0245 हे० वन भूमि के लिये नेट प्रजेन्ट भेल्यू (NPV) के मद में रू० 6.26 लाख प्रति हे० के दर से रू० 15,337/– (रूपये पन्द्रह हजार तीन सौ सैतीस) मात्र प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण एवं वन विभाग के पक्ष में जमा कराया जायेगा।
3. हरितावरण को बनाये रखने के लिए 50 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं सात वर्षों तक इसके रख–रखाव के लिए आवश्यक राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा तात्कालिक दर पर पर्यावरण एवं वन विभाग के पक्ष में जमा कराया जायेगा।

प्रस्ताव की एक प्रति (मूल रूप में) संलग्न अभिलेख सहित भेजते हुए अनुरोध है कि उपर्युक्त प्रस्ताव के संदर्भ में लिये गये निर्णय से राज्य सरकार को संसूचित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

ह०/–
**(ललन प्रसाद सिंह)**
वन संरक्षक–सह–अपर सचिव।

**ज्ञापांक** : वन भूमि–43/2016........................./प०व०, पटना–15, दिनांक...............................................

**प्रतिलिपि** :–प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)–सह–नोडल पदाधिकारी, (वन संरक्षण) बिहार/ एयरपोर्ट निदेशक, भारतीय विमानपतन् प्राधिकरण, गया हवाई अड्डा, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
**(ललन प्रसाद सिंह)**
वन संरक्षक–सह–अपर सचिव।

**ज्ञापांक** : वन भूमि–43/2016....135(6)..../प०व०, पटना–15, दिनांक....02/03/2017

**प्रतिलिपि** :–आई०टी० मैनेजर, पर्यावरण एवं वन विभाग को मंत्रालय के वेब–साईट पर अपलोड करने एवं पार्ट–2 उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

1/3/17
**(ललन प्रसाद सिंह)**
वन संरक्षक–सह–अपर सचिव।